

सेवा में,
सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी

दिनांक : 28.01.2025

संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक
30.08.2023 का पत्र आपके सूचनार्थ, अनुपालनार्थ तथा आपके विभाग/अनुभाग में राजभाषा
कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु परिचालित किया जाता है।

मेरी जानलाई


प्रभारी

राजभाषा प्रकोष्ठ
प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ^{28.01.25}
In-charge, Official Language Cell
विश्वभारती / Visva-Bharati
शान्तिनिकेतन / Santiniketan

प्रतिलिपि :

- विश्वविद्यालय वेब मास्टर : अनुरोध है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

सैर्यद इकराम रिजवी
रायुक्त सचिव



भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

अ.सा. पत्र सं. 13035-11/2024-रा.भा.ए.

दिनांक: 30 अगस्त, 2023

जैसाकि आपको विदित है मानवीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर शिशा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया जा रहा है। इन निरीक्षणों में समिति राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के बारे में विशेष निटेश देती है उन्हीं निटेशों की अनुपालना में, राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के कार्यों में गति लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई को पार्थमिकता के आधार पर किए जाने की नितांत आवश्यकता है:-

- जिन कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के पद सूचित नहीं हैं उनमें राजभाषा विभाग के दिनांक 22.07.2004 के का.जा.सं. 13035/3/95-रा. भा. (वीटि एवं समन्वय) (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार राजभाषा हिन्दी के पदों का सूचन किया जाए और पद के सूचन की प्रक्रिया पूरी ढौने तक अनुबंध आधार पर वियोजित किया जाए।
 - राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर तिमाही आधार पर चार बैठकें आयोजित की जाए।
 - प्रत्येक तिमाही राजभाषा हिन्दी की एक कार्यशाला आयोजित की जाए।
 - मैं आपका ध्यान शिक्षा मंत्रालय में राजभाषा उचितिरण/नियम के तहत बताए गए नियमों की अनुपालन के लिए जांच विदुओं के निर्धारण/ सुदृष्टिकरण के बारे में दिनांक 28.03.2022 के का. जा. सं. 13035/10/2022- रा.भा. ए. (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिस पर गंभीरता से और तेजी से अमल करने की आवश्यकता है।
- मैं आभारी रहूँगा यदि आप उपर्युक्त मर्दों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

सादर,

आपका

(सैर्यद इकराम रिजवी)

रोया मैं,

- शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संघट एवं अधीनस्थ कार्यालयों/रास्थानी/विश्वविद्यालयों/संगठन/समिति/परिषद/बोर्ड/आयोगों/न्यास के प्रशासनिक प्रमुख।
- शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी व्यूरो प्रमुख।

कांडा सं 13035/3/95-या० (नीति एवं समन्वय), दिनांक 22.7.2004

विषय: केन्द्रीय सरकार की यज्ञभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पटों के मानक पुनःनिर्धारित करना।

केन्द्रीय सरकार की यज्ञभाषा नीति का अनुपालन युनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदी पटों के मानक यज्ञभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय जापन संघर्ष 13035/3/80-या० (ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। ये मानक धूषोधित करके दिनांक 5.4.1989 के कांडा सं 13053/3/88-या० (ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। न्यूनतम हिंदी पटों के मानकों को और अधिक युवितरणपूर्ण बनाने पर विचार किया गया ताकि अनुवाद के साथ-साथ यज्ञभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पद मूर्जित किए जा सकें। तदनुसार, अनुवाद और यज्ञभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पटों के लिए निम्नान्वित मानक निर्धारित किए जाते हैं:-

1.1 मंत्रालयों/विभागों के लिए

- (i) प्रत्येक मंत्रालय तथा संबंधित विभाग में, विषयता पूर्णकानिक मंचित हो, एक सहायक निदेशक (यज्ञभाषा)।
- (ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जिनमें 100 या 100 से अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय कार्यालयीय हैं, या जिनमें ड्रॉनमेंट 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिसमें दर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय हैं, एक विशिष्ट हिंदी अधिकारी अथवा उप-निदेशक (यज्ञभाषा)। यज्ञभाषा विभाग के दिनांक 13.4.1987 के कांडा सं 13017/1/81-या० (ग) में निर्धारित नामसंबोध द्वारा ध्यान में रखते हुए, यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उपके अधिकारित हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की प्राप्ति के आधार पर 12000-16500/- रुपए के लेवलमान में संयुक्त निदेशक (यज्ञभाषा) (इसी बैतरणामान में पहले निदेशक) का पद बनाया जा सकता है।
- (iii) 50 से कम अनुसन्धानीय कार्यालयीय पर एक कनिष्ठ अनुवादक, 50 से 100 अनुसन्धानीय कार्यालयीय पर 2 कनिष्ठ अनुवादक, 101 से 150 अनुसन्धानीय कार्यालयीय पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

1.2 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

- (i) 100 या 100 से अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी (प्रधारक निदेशक, (यज्ञभाषा))।
- (ii) (क) 'क' श्वेत में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा मंत्रालयों और अर्थ सेनिक बलों कार्यालयों को छोड़कर)-18 से 125 अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से 175 अनुसन्धानीय कार्यालयीय कार्यालयों के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 175 से अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।
- (ख) 'ख' तथा 'ग' श्वेत में स्थित कार्यालयों के लिए

 - (1) 18 से 75 तक अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 76 से 125 अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालयों के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 126 से 175 अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 175 से अधिक अनुसन्धानीय कार्यालयीय वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक।
 - (2) रक्षा मंत्रालयों और अर्थ सेनिक बलों के 'क' श्वेत में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक श्वेत से दूसरे श्वेत में असामिजित होते रहते हैं, यही मानक लागू होते हैं।
 - (3) 'ख' व 'ग' श्वेत में स्थित कार्यालयों के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसन्धानीय कार्यालयीय हैं, एक हिंदी वार्डप्रस्त का पद दिया जाए। 'क' श्वेत में नए खोलो जाने वाले कार्यालयों में भी यही कम से कम 25 अनुसन्धानीय कार्यालयीय होती ही एक हिंदी वार्डप्रस्त पद दिया जाए। 'क' श्वेत में स्थित रक्षा मंत्रालयों और अर्थसेनिक बलों के कार्यालयों, जो एक श्वेत से दूसरे श्वेत में असामिजित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होते हैं।

1.3 मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में यज्ञभाषा नीति के अनुपालन के लिए अन्य पद:-

- (i) अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो यज्ञभाषा नीति का अनुपालन युनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बताना, हिंदी कलाहकार संघिनि, यज्ञभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों को कार्यभूमि व कार्यक्रम तैयार करना, यार्डमार्चिंगों वा शिरो गोष्ठीयों के लिए सामग्री क्रान्ति, सार्वजनिक लोगों का अनुग्रहन करना आदि। मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में इस कार्य के लिए निम्नान्वित पदों को अनुशंसा की जाती है:-
- (क) अवर श्वेत विधिक (हिंदी वार्डप्रस्त) का एक पद यह पद पहले से असिक्त में है जैसाकि यज्ञभाषा विभाग के दिनांक 5.4.1989 के कांडा सं 13035/3/88-या० (ग) में डिलिखित है।

- (ख) महायक का एक पट, उन मंत्रालयों/विभागों में तथा सहायक या उसके भाषकश पट उन मंत्रदूष/अधीनस्थ कार्यालयों में, जहाँ अनुमनिक्ति कार्यालयों की व्यवस्था (मूष 'सी' को छोड़कर) कम से कम 310 है।
- (ii) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहाँ उक्त कार्यों के लिए महायक या समकक्ष पट पहले से स्वीकृत है, वहाँ अतिरिक्त पट अनुशंसित न किया जाए।
2. 'अनुमनिक्ति कर्मनारियों, से सभी कर्मनारियों में (श्रेणी 'ब' के कर्मनारियों को छोड़कर) हैं जिनके पट लिपिक वर्णीय कल्पों के लिए गंत्रा किए गए हैं ऐसे ही वे तकनीकी या वैज्ञानिक कार्यालय या अधिकारी हों। उनको अतिरिक्त जिन तात्त्वीकी और वैज्ञानिक कर्मनारियों/अधिकारीयों को बनायी जायें। ऐसे दिएपा, आक्षय, प्रब नियन, लोकाक्षय जूलन, शंका या उनको भी जिनी तात्त्वीकी गणना में आमिन किया जाए।
3. इन प्रांगणों सिद्धांतों में हिंदी पटों की जो व्यवस्था निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था, जिस कार्य अभ्यन्तर के कर्मनारियों की गंद्या और कार्यालय किये शैरू में प्रियत है, के आधार पर की जाए ताकि यज्ञाभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रतिकूल अगर न पहुँचे। काम की मात्रा और ग्रहण की शक्ति में व्यवस्था हूँ किसी भी कार्यालय में इसमें अधिक पटों का यन्त्रिओं चित्त हो तो उनका मूल्य कार्य अभ्यन्तर के आधार पर किया जा सकता है।
4. कार्य अभ्यन्तर करने समय वही कार्य की दौरी अन्तर में व्यवस्था जाए जो इस समय किया जा सकता है विनियक वे कार्य की सारी जटि हिसाब में ली जाएं जो यज्ञाभाषा अनुमनिक्ति, नियम, वैज्ञानिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुमान दियी में या दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में किए जाने ज़रूरी हैं। कहना न होगा कि कार्य अभ्यन्तर कार्यालय की गणा का व्यानपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए, न कि तात्त्व आशार पर।
5. यह स्पष्ट किया जाया है कि जिन कार्यालयों में अनुनादक आदि के पट पूर्व के मानकों के आधार पर पहले से मुक्ति किए जा चुके हैं उन्हें उपर आधार पर यापाल वही किया जाएगा कि अनुमनिक्ति व्यवस्थाओं के अनुमान निर्धारित गंद्या में वे अधिक हैं। तथापि, कोई भी अतिरिक्त मात्रा पंचान्त्र व्यवस्था तथा उपर की अधीनस्थ कार्यालय में समग्र क्षमा ये फ़ालन् पाए जाने वाले पटों से यामानोंनित की जाए।
6. केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संघर्षों में हिंदी की भाष्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आध्ययक पटों का मूल्य किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पटों का कोई मानदण्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।
7. यज्ञाभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पटों के मूल्य के संबंध में इस कार्यालय जापन में निर्धारित मानक और यज्ञाभाषा विभाग के लिएका ३ अक्टूबर, १९८७ के कानून में (सोल/१.४१, या भारत) (प्रथम गलत) में मूल्यों के निर्धारित अनुनाद व्यवस्थी कार्यालय के मानक मार्गदर्शी मिलती हैं।
8. यह कार्यालय जापन निदेशक, (कर्मनारी निर्धारण एकक) जिन मंत्रालय द्वारा उनको दिनांक २६.१२.२००३ की अन्तर्विभागीय दिप्पणी सं. ५२६/एम आई यू/२००३ में दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।
- कानून सं. १३०३/५/९२-राज्य (ग), दिनांक २७.८.१९९२
- विषय: केंद्रीय सरकार की यज्ञाभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी के पटों के मूल्य के संबंध में।
- उपर्युक्त विषय पर यज्ञाभाषा विभाग के दिनांक २७.४.१९८१ के कार्यालय जापन गंद्या-१.३०३/३/४०-ये गो- (ग) को पृष्ठ-४ में यह कहा गया है कि विन मंत्रालय (व्यव विभाग) के ६ जूलाई, १९७९ के कार्यान्वय जापन सं. ४८-७ (२)-३-समन्वय/७९ तथा २ रिमेंड, १९७९ के कार्यालय जापन सं. एफ-१७ (१८)इ-१८ समन्वय/७९ द्वारा यही योजना-पिन (नाम-ग्नान) नाम पटों के मूल्य पर यापानी योग लगा दी गई थी और ये निदेश दिए गए थे कि ऐसे पटों के मूल्य पर ही योग लगाने के बाले में योगार की बचत दिखाई जाए। परंतु, जिन मंत्रालय (व्यव विभाग) के ही ३ अक्टूबर, १९७९ के कार्यान्वय जापन सं. ७(१६)-३-समन्वय/७९ द्वारा, अन्य पटों के साथ-साथ, मार्गदर्शिक अपेक्षित व्यवस्थी की पुस्ति के लिए आवश्यक पटों को उक्त यापानी वैन में पूछा-कर दिया गया है। यह कृत साक्षर की यज्ञाभाषा नीति का अनुपालन/कार्यान्वयन मूलिकत्वात् करने के लिए आवश्यक पटों के मूल्य की भी जारी है। अतः मंत्रालय आदि उक्त मार्गदर्शी मिलानों के अनुमान न्यूनतम हिंदी के पटों के मूल्य के लिए आवश्यक, प्रत्येक वर्षा यक्कते हैं।
- (१) इस संचयन में यही व्यवस्था विभाग के कार्यालय जापन सं. १३०३/३/४०-ये गो- (ग) दिनांक १२.७.८८ की ओर आकृपित किया जाता है जिसमें व्यव विभाग के कार्यान्वय जापन सं. १०६.४)-३- (यापन्वय/८५ दिनांक ८.६.१९८८ उल्लेख किया गया है और जिसमें वह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रत्यावर्ती पट जहाँ यज्ञाभाषा नीति के अनुपालन के लिए पट मूल्यानुकूल वाला मामला हो, संचयित प्रशासनिक मंत्रालय के मर्यादित विनियोग समानाहकार के पासमाझे से तथा उस मंत्रालय के पासमाझे में यज्ञाभाषा विभाग द्वारा बन्दूप गए तथा जारी किया गया है कि अनुसूत निदेशों की यांत्री के व्यवस्था में लाया जाए।

सं.13035/10/2022-रा.भा.ए.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 28.03.2022

कार्यालय-जापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जांच-बिंदुओं का निर्माण/सुदृढीकरण।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा-4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग-गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/संस्थानों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित विषयों पर जांच बिंदु बनाने और उन्हें सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है:-

1. **सामान्य आदेश तथा अन्य कागज़ात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना :**
राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपान्तर से पहले/ऊपर रखा गया है।
2. **हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना :**
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करे।
3. **"क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि :**
प्रेषण अनुभाग जांच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा।
4. **रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना :**
कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को नियमानुसार अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।

5. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना :

प्रेषण अनुभाग जांच-बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं।

6. फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना :

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।

7. यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद :

जो अधिकारी/अनुभाग कंप्यूटरों की खरीद/अनुरक्षण का कार्य देखता है, उसके द्वारा सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supported) एक सा सॉफ्टवेयर/फॉन्ट डाला जाना सुनिश्चित किया जाएगा और नए कंप्यूटर खरीदते समय भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विक्रेता कम्पनी द्वारा उनमें हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supported) एक सा सॉफ्टवेयर/फॉन्ट डाला जा चुका है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में Times New Roman और Arial आदि जैसे अनेकानेक फॉन्ट सभी कंप्यूटरों में उपलब्ध रहते हैं, जिससे अंग्रेजी की सामग्री को सभी कंप्यूटरों में देखना, संपादित/संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव है, किंतु हिंदी में स्थिति ऐसी नहीं है। सभी कंप्यूटरों में हिंदी का एक सा फॉन्ट नहीं होने से एक कंप्यूटर की सी डी/पैन-ड्राइव एवं ई-मेल के ज़रिए भेजी जाने वाली सामग्री दूसरे कंप्यूटर में नहीं खुलती है। ऐसी स्थिति में अलग-अलग स्रोतों से और/या अलग-अलग फॉन्ट्स में प्राप्त हिंदी की सामग्री को देखना, संपादित/संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव नहीं हो पाता है। अतः कंप्यूटरों की खरीद/अनुरक्षण का कार्य देखने वाले अनुभाग/अधिकारी सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित एक सा ही फॉन्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके लिए इसे किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए, वरन् राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए। शंका के समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी-।। बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 से संपर्क किया जाए।

8. फार्म, कोडों, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन : सरकारी आदेशों के अनुपालन में भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेस संबंधित विभाग को वापस कर देता है। गैर-सरकारी प्रेसों में छपवाइ जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जांच बिंदु स्थापित किए जाएं।

9. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना :

रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी - द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार कराना सुनिश्चित करे।

10. सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करना :

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसका प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने

वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में भी यथासंभव हिंदी में की जाएंगी।

11. विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन :

समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.06.2017 के कार्यालय जापन सं. 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाए जाएं।

12. वेबसाइट का द्विभाषीकरण :

वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी/अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के मामले में सरकारी दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन हो और वेबसाइट के निर्माण/ अद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में- (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने, (ii) अंग्रेजी सामग्री अपलोड करते समय हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतन बनाते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतन बनाने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों।

13. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना :

कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी- द्विभाषी रूप में और यथासंभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

14. हिंदी पुस्तकों की खरीद :

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन-ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।

15. हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना :

पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पत्र/परिपत्र/प्रलेख आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार केवल हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/ तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किए जाएं।

शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों/ब्यूरो/प्रभागों/अनुभागों तथा सभी नियंत्राधीन अधीनस्थ/सम्बद्ध/ स्वायत्त कार्यालयों/संस्थानों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति की स्थिति की आवधिक समीक्षा करके उक्त जांच बिंदुओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के अपने संवेद्धानिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

संयुक्त सचिव, भारत सरका

सेवा में,

1. शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी/ब्यूरो/प्रभाग/अनुभाग/एकक।
2. शिक्षा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध/स्वायत्त कार्यालय/संस्थान/परिषद/बोर्ड/आदि। कृपया अपने अपने कार्यालय/संस्थान आदि में जांच बिन्दु बनाकर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (उच्चतर शिक्षा)/सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) के प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. सीएमआईएस यूनिट, शिक्षा मंत्रालय के ई-ऑफिस पर अपलोड करने हेतु।
